संख्या- 04/2021/1847/बयालिस-2021-27(बजट)/2017

प्रेषक,

कल्पना अवस्थी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ: दिनांक 25 अक्टूबर, 2021**

विषय- जनपद गोरखपुर के स्पोर्टस स्टेडियम में निर्मित छात्रावास के मरम्मत के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- जी-486/नि0 छात्रावास मरम्मत पत्रा0/2020-21, दिनांक 05.10.2021 एवं शासनादेश संख्या- 557/बयालिस-2021-27(बजट)/2017,दिनांक 23.03.2021 के सन्दर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद गोरखपुर के स्पोर्टस स्टेडियम में निर्मित छात्रावास के मरम्मत हेतु ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा प्रायोजना की लागत रू0 93.38 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 में मद संख्या-44–प्रदेश के विभिन्न जनपदों में निर्मित छात्रावासों की विशेष मरम्मत हेतु रू0 50.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के उपरान्त वित्तीय वर्ष 2021-22 में रू0 43.38 लाख (रूपया तैतालिस लाख अडतीस हजार मात्र) की अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 रू0 43.38 लाख (रूपया तैतालिस लाख अडतीस हजार मात्र) की कोषागार से आहरण की कार्यवाही निदेशक, खेल द्वारा वित्त विभाग के शासनादेश 22.03.2021 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार करते हुए कार्यदायी संस्था उ0 प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 को उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22.03.2021 के प्रस्तर-2(9)(ख) में निहित व्यवस्था के अनुसार धनराशि निर्गत की जायेगी।

(3) कार्य की विशिष्टियां मानक एवं गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, खेल एवं कार्यदायी संस्था की होगी। निदेशक, खेल यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) प्रायोजना की लागत में टाइम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन न हो अत: इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर- 212 (VII) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यो के गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यो की मानीटरिंग भी किया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों**,** समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(7) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व निदेशक, खेल द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(8) निदेशक, खेल एवं कार्यदायी संस्था द्वारा लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

(9) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन तैयार कर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के साथ-साथ वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड- 6 के अध्याय- 12 के प्रस्तर- 318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(10) शासनादेश संख्या- 557/बयालिस-2021-27(बजट)/2017,दिनांक 23.03.2021 में निहित शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

(11) निदेशक**,**खेल/कार्यदायी संस्था द्वारा प्रायोजना का निर्माण निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण करा लिया जायेगा।

(12) निदेशक**,** खेल द्वारा अवमुक्त की गयी सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) निदेशक**,**खेल/कार्यदायी संस्था द्वारा सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिये सुसंगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) जी0एस0टी0 आदि की गणना की शुद्धता का उत्तरदायित्व निदेशक**,** खेल/कार्यदायी संस्था का होगा।

(15) उक्त आगणन में उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी **SOR-2018, DSR-2018** व वर्तमान मार्केट रेट के न्यूनतम दर के आधार पर आगणन तैयार किया गया है। आगणन/ प्रस्तावित प्राक्कलन में डी0एस0आर0 की दर को इन्डैक्स करके लगाया जाय। वित्तीय नियमों के अनुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त सक्षम अधिकारी द्वारा आगणन स्वीकृत करते हुए नियमानुसार ई-निविदा का वृहद प्रचार प्रसार कराते हुये निर्माण कार्य कराया जाए।

(16) उक्त धनराशि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231-2021**,** दिनांक 22**.03.2021** में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत की जा रही है।

2- उक्त मद में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-22 के लेखाशीर्षक '' 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-03-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

खेलकूद तथा युवा सेवा-800-अन्य व्यय-44-प्रदेश के विभिन्न जनपदों में निर्मित छात्रावासों की विशेष मरम्मत-24-वृहत निर्माण कार्य '' के नामे डाला जायेगा।

भवदीया,

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

संख्या- 4/2021/1847(1)/बयालिस-2021-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्क कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0 प्र0 प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, गोरखपुर।
5- क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी, गोरखपुर।
6- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 लखनऊ।
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1
9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग- 5
10- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।